





Sportforther regis

Office of the Principal Commissioner of Commissioner of Commission

केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त का कार्यहरी,

TRADE NOTICE 02/2019
Date 03. 04.2019

Sub: - Verification of application for grant of new registration - Reg.

In recent times a large number of registrations have been cancelled by the proper officer under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Central Goods & Services Tax Act, 2017 read with rule 21 of the Central Goods & Services Rules, 2017 on account of non-compliance of the said statutory provisions. In this regard, instance have come to notice that such persons, who continue to carry on business and therefore are registration under GST, are not applying for revocation of required to have cancellation of registration as specified in section 30 of the CGST Act read with rule 23 of the CGST Rules. Instead, such persons are applying for fresh registration. Such new applications might have been made as such person may not have furnished requisite returns and not paid tax for the tax periods covered under the old/cancelled registration. Further, such persons would be required to pay all liabilities due from them for the relevant period in case they apply for revocation of cancellation of registration. Hence, to avoid payment of the tax liabilities, such persons may be using the route of applying for fresh registration. It is pertinent to mention that as per the provisions contained in proviso to sub-section (2) of section 25 of the CGST Act, a person may take separate registration on same PAN in the same State.

- 2. In order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of law across the field formations, the Board, in exercise of its powers conferred by section 168 (1) of the CGST Act, issued the following instructions vide circular No 95/14/2019-GST dated 28-03-2019.
- 3. Sub-section (10) of section 25 of the CGST Act read with rule 9 of the CGST Rules provide for rejection of application for registration if the information or documents submitted by the applicant are found to be deficient. It is possible that the applicant may suppress some material information in relation to earlier registration. Some of the information that may be concealed in the application for registration in **FORM GST REG -01** are S. No. 7 'Date of Commencement of Business', S. No. 8 'Date on which liability to register arises', S. No. 14 'Reason to obtain registration' etc. Such persons may also not furnish the details of earlier registrations, if any, obtained under GST on the same PAN.
- 4. It is hereby instructed that the proper officer may exercise due caution while processing the application for registration submitted by the taxpayers, where the tax payer is seeking another registration within the State although he has an existing registration within the said State or his earlier registration has been cancelled. It is clarified that not applying for revocation of cancellation of registration along with the continuance of the conditions specified in clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 29 of the CGST Act shall be deemed to be a "deficiency" within the meaning of sub-rule (2) of rule 9 of the CGST Rules. The proper officer may compare the information pertaining to earlier registrations with the information contained in the present application, the grounds on which the earlier registration(s) were cancelled and the current status of the statutory violations for which the earlier registration(s) were

GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam-530 035, \$ 0891-2568837 = 2561942 commr-cexvzg ajnic.in

Scanned by CamScanner

cancelled. The data may be verified on common portal by fetching the details of registration taken on the PAN mentioned in the new application vis-a-vis cancellation of registration obtained on same PAN. The information regarding the status of other registrations granted on the same PAN is displayed on the common portal to both the applicant and the proper officer. Further, if required, information submitted by applicant in S. No. 21 of FORM GST REG-01 regarding details of proprietor, all partner/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. may be analysed vis-à-vis any cancelled registration having same details.

- 5. While considering the application for registration, the proper officer shall ascertain if the earlier registration was cancelled on account of violation of the provisions of clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 29 of the CGST Act and whether the applicant has applied for revocation of cancellation of registration. If proper officer finds that application for revocation of cancellation of registration has not been filed and the conditions specified in clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 29 of the CGST Act are still continuing, then, the same may be considered as a ground for rejection of application for registration in terms of sub-rule (2) read with sub-rule (4) of rule 9 of CGST Rules. Therefore, it is advised that where the applicant fails to furnish sufficient convincing justification or the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, then, his application for fresh registration may be considered for rejection.
- The content of this Trade Notice may be brought to the notice of all concerned.

(B. HARERAM) 3 4 149 CHIEF COMMISSIONER

[Issued from file C.No.V/30/209/2017-CC(VZ)-Tech 2]

To,

The Trade (as per distribution list)

Conv to:

All the Principal Commissioners/Commissioners of Central Tax, Visakhapatnam CGST Zone for necessary action.







केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRALTAX & CUSTOMS केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विशाखापट्टणम क्षेत्र CENTRAL GST VISAKHAPATNAM ZONE जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपट्टणम

GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530 035

<u>व्यापार सूचना 02/2019</u> दिनांक *0*3.04.2019

विषय:- नए पंजीकरण के लिए आवेदन का सत्यापन - के संबंध में ।

हाल के दिनों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के उप-धारा (2) के प्रावधानों, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 21 के साथ पढ़ें, के अंतर्गत उक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण उचित अधिकारी द्वारा बड़ी संख्या में पंजीकरण रह कर दिए गए हैं। इस संबंध में, ऐसे उदाहरण जानकारी में आये हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति, जो व्यवसाय करना जारी रखते हैं और इसलिए उन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है, पंजीकरण के निरस्तीकरण को वापस लेने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 30, सीजीएसटी नियमावली के नियम 23 में विनिर्दिष्ट हैं। इसके बजाय, ऐसे व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस तरह के नए आवेदन किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपेक्षित विवरणी (रिटर्न) नहीं भरा होगा और पुराने या रह किए गए पंजीकरण के अंतर्गत कर अविध के लिए कर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को, रह पंजीकरण को वापस लेने के लिए आवेदन करने की स्थिति में, उनके द्वारा संबंधित अविध के लिए सभी देयताओं का भुगतान करना होगा। इसलिए कर देनदारियों के भुगतान से बचने के लिए, ऐसे व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने के मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के प्रावधान में परंतुक के अनुसार, एक व्यक्ति एक ही राज्य में एक ही पैन पर अलग-अलग पंजीकरण ले सकता है।

- क्षेत्र गठनों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिपत्र दिनांक 28-03-2019, सं. 95/14/2019-जीएसटी के द्वारा निम्नितिखित निर्देश जारी किए गए हैं।
- 3. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो सीजीएसटी अधिनियम के नियम 9 के साथ पढ़े गए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (10), पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए प्रावधान करती है। यह संभव है कि आवेदक पहले पंजीकरण के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी को छुपा सकता है। कुछ जानकारी जो फार्म जीएसटी पंजी.-01 में पंजीकरण के लिए आवेदन में छिपाई जा सकती है, वे हैं, क्र.सं. 7 'व्यापार की तिथि', क्र.सं. 8 'दिनांक जिस पर पंजीकरण करने की देयता उत्पन्न होती है', क्र.सं.14 'पंजीकरण प्राप्त करने का कारण' आदि। ऐसे व्यक्ति पूर्ववर्ती पंजीकरणों, यदि कोई हो, जो उसी पैन पर जीएसटी के अंतर्गत प्राप्त किया गया हो, का विवरण शायद प्रस्तुत नहीं करें।
- 4. इसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा जमा किए गए पंजीकरण के लिए आवेदन को संसाधित करते समय सावधानी बरत सकता है, जहां करदाता राज्य के भीतर एक और पंजीकरण की मांग कर रहा है, हालांकि उसके पास उक्त राज्य के भीतर एक पंजीकरण मौजूद है या उसका पूर्व पंजीकरण रद्द कर दिया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की

Scanned by CamScanner

393 Supat Cojska/ACE

धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट शर्तों की निरंतरता के साथ पंजीकरण के निरस्तीकरण की वापसी के लिए आवेदन नहीं करना "सीजीएसटी नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (2) के अर्थ में "कमी" माना जाएगा । उचित अधिकारी वर्तमान आवेदन में निहित जानकारी के साथ पिछले पंजीकरणों से संबंधित जानकारी की तुलना कर सकता है, जिस आधार पर पहले पंजीकरण (औं) को रद्द कर दिया गया था और वैधानिक उल्लंघन की वर्तमान स्थिति जिसके लिए पहले पंजीकरण(ओं) को रद्द कर दिया गया था। । एक ही पैन पर प्राप्त पंजीकरण के नए आवेदन में दिये गये विवरण की तुलना कर उल्लिखित पैन पर लिए गए एवं निरस्त पंजीकरण के विवरण को आम पोर्टल से प्राप्त विवरण से सत्यापित किया जा सकता है। एक ही पैन पर दिए गए अन्य पंजीकरणों की स्थिति के बारे में जानकारी आवेदक और उचित अधिकारी दोनों को आम पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो मालिक, सभी साझेदार / कर्ता / प्रबंध निदेशकों और एसोसिएशन/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रबंध समिति के पूरे समय निदेशक/सदस्यों आदि के विवरण के बारे में जॉएसटी आरईजी-01 के क्र.सं.21 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की तुलना समान विवरण वाले किसी भी रद्द किए गए पंजीकरण के विश्लेषण से किया जा सकता है।

- 5. पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय, उचित अधिकारी यह पता लगाएगा कि क्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबंधों (बी) और (सी) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पहले का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था? और क्या आवेदक ने पंजीकरण के निरस्तीकरण को वापस लेने हेतु आवेदन किया है । यदि उचित अधिकारी यह पाता है कि पंजीकरण के निरस्तीकरण की वापसी के लिए आवेदन नहीं किया गया है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट शर्त अभी भी जारी हैं, तो, सीजीएसटी नियमों के नियम 9 के उप-नियम (4) के साथ पढ़े जाने वाले उप-नियम (2) के संदर्भ में पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए इसे एक आधार माना जा सकता है । अतः यह सलाह दी जाती है कि जहां आवेदक विश्वास करने योग्य पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उचित अधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तो, नए पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है ।
- इस व्यापार सूचना की सामग्री को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(बी. हरेराम) 3)4/2019 मुख्य आयुक्त

[फा.सी.नं.V/30/209/2017-CC(VZ)-Tech.2 से जारी किया गया]

सेवा में, व्यापार वर्ग । (वितरण सूचि के अन्सार)

प्रतिलिपि:

केन्द्रीय कर, विशाखापट्टनम सीजीएसटी अंचल के सभी प्रधान आयुक्तों/आयुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के लिए ।